RCMS - 2014/00030

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

देवेन्द्र कुमार बनाम संजीव खीचड़ व स्टेट

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 41 /2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
21.07.14	अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2014 को पेश हो।	
22.07.14	पत्रावली स्थगन प्रार्थना पत्र के आदेश हेतु पेश हुई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट देवेन्द्र कुमार अपीलकृत भूमिधारी संजीव पूनियां के मुख्त्यारआम है। अपीलाधीन भूमि मुख्त्यारआम की हैसियत से रेस्पोडेंट संख्या 01 को विक्रय की गई थी जबकि मुख्त्यारनामा में भूमि विक्रय के अधिकार मुख्त्यारआम को नहीं दिये गये थे, बल्कि अपीलकृत भूमि के प्रबन्धन के अधिकार मुख्त्यारआम को दिये गये थे। विवादित भूमि अविभाजित सम्पत्ति है। कृषि भूमि का बेचान हुआ है जबकि मौके पर स्कूल बना हुआ है। अपीलकृत इंतकाल में किला नं व मुरब्ब नं अंकित किया गया है जबकि अविभाजित भूमि में किला नं व रकबा का उल्लेख नही होता क्योंकि विवादित भूमि मुश्तर्का खाते की है। अपीलाधीन भूमि से रेस्पोडेंट अपीलांट को बेदखल करने पर उतारू है। अतः प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन भूमि को रहन, बैय न करने व मौका की यथा स्थिति बनाए रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलकृत इंतकाल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2013 को स्वीकृत किया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का यह तर्क कि मुख्त्यारनामाआम द्वारा मुख्तायारआम को भूमि विक्रय के अधिकार नहीं दिये गये थे बल्कि भूमि प्रबन्धन के अधिकार दिये गये थे लेकिन अपीलांट द्वारा अपील के साथ मुख्त्यानामाआम की सत्यप्रति प्रस्तुत नही की गई है, जिससे अपीलांट के उक्त तर्क की पुष्टि होती हो। यही नही अपीलकृत इंतकाल को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किये लगभग 1½ वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। अतः अपीलांट के अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नही होता कि रेस्पोडेंट अपीलांट को बेदखल करने पर उतारू हो। ऐसी स्थिति में बिना रेस्पोडेन्ट को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः रेस्पोडेंट की तलबी के उपरांत उभय पक्ष को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनने के बाद ही गुणदोष पर स्थगन आदेश पारित किया जायेगा। अतः रेस्पोडेन्ट व अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब हो। पत्रावली दिनांक 06.08.14 को पेश हो।	

Scanned with OKEN Scanner

18.3.26 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते पेश लिखित बहस जिरह 28.4.26 को पेश हो।

28.4.26 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी 28.4.26 नि. ... उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 13.5.26 को पेश हो।

13.5.26 अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान का आपसी में राजीनामा हो गया है, इस कारण अपीलार्थी कोई कार्यवाही करना नहीं चाहता है, इस कारण उपरोक्त शिर्षक की पत्रावली में कार्यवाही समाप्त कर अभिलेखागार में जमा कराने का आदेश दिया जाना न्यायेचित है साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील नोटप्रैस कर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रैस करने के कारण एवं पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो जाने के कारण हस्तगत अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें एवं बाद तरतीव/तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

Note Press
13-5-26

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner